न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान – सरकार बनाम योगेश कुमार

मुकदमा न. 14/18/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

04.02.2020	पत्रावली पेश हुई। खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थीगण की और से वकील श्री पवन कुमार शर्मा उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब आवेदन पेश किया जिसका अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब आवेदन पेश कर अंकित किया है कि गाय का घी (श्रीश्री) मिथ्या छाप पाये जाने पर निर्माता कम्पनी की और से खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जरिये पत्र सूचित किया गया कि उक्त बैच में कुछ त्रुटि पायी गई जिसका तुरन्त सुधार कर लिया है। उक्त बैच का माल रिटेलर्स के पास चला गया उसके लिए क्षमा याचना की गई और भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। प्रार्थीगण की और से जिस स्थिति में माल आया उसी स्थिति में माल को जरिये बिल आगे विक्रय किया था। प्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार का कोई अपराध बनना प्रथम दृष्टया नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप करने का आदेश प्रदान करे। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ– 845 खाद्य पदार्थ गाय का घी (श्रीश्री) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Misbranded Food का पाया गया है। प्रकरण में राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट में अमानक (Misbranded) पाये जाने के पश्चात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा अप्रार्थी को उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर 30 दिन के भीतर पुनः जांच करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत करने की सूचना दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का आवेदन पेश नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अप्रार्थी संख्या 2 फूलचन्द दूदवाल की और से खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन जिसमें अंकित किया है कि उक्त फर्म का मालिक में ही हूं। फर्म पर योगेश कुमार नौकरी करता है। मेरे द्वारा उक्त गाय का घी (श्रीश्री) मैसर्स S.R. Agencies G-20,

जवाब आवेदन पेश कर अंकित किया है कि we, sri sri Ayurveda Trust work as a Non Profit Organization and all are funds raised, goes to the betterment of society and people. We hereby request to please close the matter by warning and no penalty. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन एवं बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण ने अपना जुर्म कबूल किया है। अप्रार्थीगण द्वारा गाय का घी (श्रीश्री) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के 10,000–10,000/– रुपये तथा अप्रार्थी संख्या 5 के 20,000/– रूपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/2/20

अति० जिला कलक्टर, सीकर